न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 32/2012 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2012/00148

उनवान

1. भगवान देवी वेवा रामभरोसी
2. मदनगोपाल पुत्र रामभरोसी ''फौत दौराने अपील''
   2/1. अनीस नाबालिग पुत्र मदनगोपाल वसरपरस्ती बहन सुमन
   2/2. सुमन पुत्री स्व0 मदनगोपाल
   2/3. कृष्णा पुत्री स्व0 मदनगोपाल

   जातिगण लोधा निवासी ग्राम एदलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
3. सीयाराम
4. राजेश
5. शीला
6. विमलेश
7. सीमा

   पिसरान रामभरोसी

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुरेश पुत्र विधाराम मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला पचौरी पाडा पुराना शहर धौलपुर
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र नत्थी सिंह जाति गुर्जर निवासी न्यू आगरा बस स्टैण्ड डिपो के पीछे धौलपुर।
3. श्रीमती बेबी गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता जाति वैश्य निवासी पुराना शहर धौलपुर।
4. गरिमा मिल्क एण्ड फूड प्रोडेक्शन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर बनवारीलाल पुत्र माधव सिंह जाति कुशवाह, निवासी थर्ड फ्लोर गरिमा टॉवर बंसल टाकीज के पास थाटीपुर ग्वालियर(म0प्र0) हाल निवासी शाखा कार्यालय बाटा वाली गली, हनुमान तिराहा लाल बाजार धौलपुर।
5. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री मुरारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जगन भवन धौलपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दि0 17.02.2012 प्र. सं. 73/2011 उनवानी सुरेश बनाम भगवान देवी

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार भार्गव उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उपस्थित ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–17.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01/वादी ने एक दावा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं शेष रैस्पो0 बाबत् बॅटवारा काश्त एवं हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 18 रकवा 21 बीघा वाके ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर, में रैस्पो0 संख्या 01/वादी 1/32 भाग का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं अपने हिस्से के मुताबिक काबिज आराजी है एवं शेष हिस्से के अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 खातेदार काश्तकार हैं एवं सम्मलित रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी अविभाजित है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण चालाक किस्म के बाहुबली व्यक्ति हैं एवं रैस्पो0 संख्या 01/वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने को आमदा हैं एवं काश्त करने में व्यवधान डालते हैं। अर्सा एक साल पहले रैस्पो0 संख्या 01/वादी ने विवादित आराजी का बॅटवारा कराने को कहा तो वह साफ इंकारी हो गये और कहा कि विवादित आराजी में अपने हिस्से को अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के हक में वय कर दो अन्यथा हम तुम्हें लट्ठ के बल पर विवादित आराजी से बेदखल कर देंगें। अतः अपने हितो की रक्षार्थ दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कर अलग से खाता कायम करने एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2012 को अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार धौलपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियुक्त किया था। तहसीलदार धौलपुर का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार धौलपुर ने ना तो पक्षकारान को कोई सूचना ही दी एवं ना ही स्वयं मौके पर गये। पटवारी हल्का ने रैस्पो0 संख्या 01/वादी से साज कर मनमाने तरीके से विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी में रैस्पो0 संख्या 01/वादी तथा रैस्पो0 संख्या 02/प्रतिवादी, 1/16 भाग के खातेदार कृषक हैं। विवादित आराजी में से दो खसरा नम्बर 273 व 260 सडक से लगे हुए हैं, नियमानुसार उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बरो में से रैस्पो0 संख्या 01 व 02 को उनके हिस्से के अनुसार ही आराजी दी जानी चाहिए थी किन्तु उन्होनें पटवारी हल्का से मिलकर अपने खातेदारी अधिकारी से अधिक भू भाग क्रमशः खसरा नम्बर 273 में से 10 विस्वा तथा 260 में से 13 विस्वा भूमि के विभाजन प्रस्ताव अपने नाम करा लिये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी ऑख बंद कर उक्त विभाजन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, जो विधिमान्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई एवं अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0डी0 2017 पेज 679 एवं 473 का हवाला देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण पुनः विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तलब कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। तहसीलदार द्वारा कुर्रे प्रस्ताव बाबत् सभी पक्षकारो को पूर्व सूचना दी जाकर, पक्षकारो की सहमति एवं मौजूदगी में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ना तो जबाव दावा पेश किया गया है एवं ना ही कुर्रे प्रस्तावो पर ही कोई आपत्ति की गई है। यदि अपीलाण्ट को कुर्रे प्रस्तावों पर कोई आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय में ही करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने कुरों का गहनता से अवलोकन करते हुए विभाजन के नियमों को ध्यान में रखकर, पक्षकारो की सहमति से, अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का सही बॅटवारा किया है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0टी0 2014(2) पेज 1424, 2014–15(सप्ली.) पेज 142 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उक्त कुर्रेजात प्रस्तावों पर किसी भी पक्षकार की सहमति एवं गवाहो के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं ना ही उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा ही तैयार किया गया है। विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2012 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में सभी पक्षकारो को सूचित कर विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट तलब की जाकर एवं प्राप्त कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.06.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official